भारतीय संघ

बनाम

रमेश राम एवं अन्य |

(विशेष अनुमति याचिका (सिविल) क्रमांक 13571-13572/2008)

14 मई 2009

[के.जी. बालकृष्णन सीजेआई , पी. सथासिवम और जे.एम. पांचाल , जे.जे.]

सिविल सेवा परीक्षा नियम , 2002:

आर आर 16(1), 16(2), 16(3), 16(4) और 16(5) ओबीसी , एससी और एसटी प्रत्याशियों के लिए केन्द्रीय सिविल सेवा आरक्षण – आरक्षित श्रेणियों से सम्बंधित प्रत्याशियों को बिना किसी छुट का दावा किए योग्यता के आधार पर चुना गया – समायोजन सेवा आवंटन में उनकी प्राथमिकता के आधार पर ओबीसी श्रेणी के खिलाफ ओबीसी योग्यता वाले प्रत्याशियों की – ओचित्य – नियम 16(2), 16(3), 16(4) और 16(5) के संवेधानिकता – मामला बड़ी बेंच को भेजा गया – का संविधान भारत – 1950 –अनुछेद , 14, 16(4) और 335.

सिविल सेवा परीक्षा -2005 में, संघ सेवा आयोग ने 425 प्रत्याशियों की सिफारिश की, जिनमे से 31 ओबीसी और एक एससी प्रत्याशी को बिना किसी छुट/रियायत के योग्यता के आधार पर चुना गया। इन 37 प्रत्याशियों में से 26 ओबीसी और 1 एससी प्रत्याशी को आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध सेवा आवंटित की गयी क्योकि इससे उन्हें सिविल सेवा परीक्षा , 2002 के आर 16(2) के सन्दर्भ में वरीयता क्रम में उच्च विकल्प की सेवा मिल गई। कुछ ओबीसी प्रत्याशियों ने आर 16(2) को चुनौती देते हुए केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष मूल आवेदन दायर किया। यह तर्क दिया गया कि ओबीसी योग्यता वाले प्रत्याशियों का ओबीसी श्रेणी के विरुद्ध समायोजन अवैध था और उन्हें सामान्य वर्ग के विरुद्ध समायोजित किया जाना चाहिए था। ट्रिब्यूनल ने माना कि योग्यता के आधार पर चयनित ओबीसी प्रत्याशियों को आवश्यक रूप से सामान्य वर्ग में समायोजित किया जाना चाहिए। हालाँकि *इसमें अनुराग पटेल बनाम यू.पी. लोक सेवा आयोग व अन्य (2005) 9 एस सी सी 742* **के निर्णय के सन्दर्भ में आर 16(2) लागू करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया कि सेवा का आवंटन रैंक-सह-वरीयता के अनुसार था और सेवा आवंटन के लिए मेधावी प्रत्याशियों को**

प्राथमिकता दी गयी थी। भारत संघ और अन्य पीड़ित प्रत्याशियों द्वारा दायर रिट याचिकाओ पर उच्च न्यायालय ने

आर 16(2) को असंवेधानिक बताते हुए चयन सूची को रदद् कर दिया और भारत सरकार और यूपीएससी को सेवा आवंटन डेहार्स आर 16(2) पर फिर से काम करने का निर्देश दिया स उच्च न्यायालय के फैसले ने तत्काल विशेष अनुमति याचिकाओ और रिट याचिकाओ को जन्म दिया।

कोर्ट ने मामले को संविधान पीठ के पास भेजते हुए कहा:

निर्णय संशोधित आर 16 सिविल सेवा परीक्षा नियम, 2002 से सम्बंधित उठाए गए और चर्चा किये गए मुद्दों को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से, इस न्यायालय के निर्णयों के आलोक में, एक आधिकारिक घोषणा की आवश्यकता हैं। इसलिए, सभी एसएलपी और रिट याचिकाएं संविधान पीठ को भेजी जाती हैं। [पैरा 15], [790-ए-बी]

अनुराग पटेल बनाम यू.पी. लोक सेवा आयोग एवं अन्य **(2005) 9 एससीसी 742**; रितेश आर. शाह बनाम डॉ. वाई. एल. यामुल और अन्य, **(1996) 3 एससीसी 253**; आर.के. सबरवाल और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य, **(1995) 2 एससीसी 745**; इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ, 1992 अनुपूरक **(3) एससीसी 217** और भारत संघ और अन्य बनाम सत्य प्रकाश और अन्य **(2006) 4 एससीसी 550, संदर्भित**

संदर्भित कानून नजीर :

(2005) 9 एससीसी 742 संदर्भित पैरा 10

(1996) 3 एससीसी 253 संदर्भित पैरा 10

(1995) 2 एससीसी 745 संदर्भित पैरा 10

(1992) एसयूपी (3) एससीसी 217 संदर्भित पैरा 11

(2006) 4 एससीसी 550 संदर्भित पैरा 12

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : एसएलपी (सिविल) संख्या 13571-13572/2008

डब्लू . पी. संख्या 1814/2008 तथा 1815/2008 में मद्रास के उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांक 20.03.2008 से

साथ

एसएलपी (सी) संख्या 13297-13298/2008, 13581/2008, 14834-14838/2008, 297/2008, 312/2008, 336/2008 तथा 416/2008.

जी ई वाहनवती , एस जी आई, रवींद्र श्रीवास्तव , निधेश गुप्ता , अरुण जेटली , श्याम दीवान , राजू रामचंद्र (एनपी), एसडब्ल्यूए कादरी , चिन्मय प्रदीप शर्मा , डीडी कामत , कुणाल वर्मा , सुप्रिया जैन , कृष्ण कुमार (बीके प्रसाद के लिए), अनिल

कटियार , अनिरुद्ध शर्मा , सुब्रमण्यम प्रसाद , अजय बंसल , अजय चौधरी , विभा दत्ता मखीजा ,

श्री प्रकाश सिन्हा , शेखर कुमार , रुद्रेश्वर सिंह , अमनप्रीत सिंह राही , तुषार बख्शी , देवेश त्रिपाठी , कुमार रंजन , कौशिक पोद्दार , गोपाल झा , तपेश कुमार सिंह , अपीलकर्ताओ के लिए

एलएनराव (एनपी), राजू रामचंद्रन (एनपी), धरम बीर राज वोहरा , बीनू टम्टा , वी. मोहना , संजय जैन , संतोष पॉल , अरविंद गुप्ता , एम जे पॉल , के के भट्ट , प्रत्यार्थियो के लिए

न्यायालय का निर्णय मुख्य न्यायाधीश के जी बालाकृष्णन के द्वारा :

सुनाया गया : 1. 2008 की एसएलपी (सी) संख्या 13571-13572 मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा 2008 की डब्ल्यूपी (सी) संख्या 1814 और 1815 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2008 के खिलाफ भारत संघ द्वारा दायर की गई है। अन्य पीड़ित व्यक्तियों ने 2008 की एसएलपी (सी) संख्या 13297-13298, 13581 और 14834-14838 दायर की। संघ लोक सेवा आयोग और भारत सरकार के कार्य से व्यथित होकर रिट दायर की , जिसमें अनारक्षित श्रेणी में चयनित आरक्षित श्रेणी के प्रत्याशियों को विकल्प दिया गया था कि सिविल सेवा परीक्षा नियमों (बाद में "सीएसई " के रूप में संदर्भित) के नियम 16(2) के अनुसार उच्च वरीयता की सेवा का विकल्प चुनने हेतु जिसमें सफल प्रत्याशियों

ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत 2008 की रिट याचिका (सी) संख्या 297,

312, 336 और 416 दायर की जिसके तहत सिविल सेवा परीक्षा नियम, 2002 के नियम 16(2),(3),(4) और (5) को उक्त नियमों के नियम 16(1) के साथ असंगत होने के कारण उल्लंघनकारी घोषित किया जाएगा। कला का. भारत के संविधान के 14, 16(4) और 335 उल्लंघन परिणामस्वरूप , प्रेस नोट दिनांक 26.6.2008 द्वारा जारी दूसरी अनंतिम सूची को रद्द किया जावे |

2. सिविल सेवा परीक्षा 2005 के, पहले चरण में, यूपीएससी ने नियम 16(4) और 16(5) के अनुसार 64 प्रत्याशियों की समेकित आरक्षित सूची रखते हुए 425 प्रत्याशियों की अनुशंसा की। नियम 16(2) के अनुसार , 425 प्रत्याशियों में से 31 ओबीसी प्रत्याशियों और 1 एससी प्रत्याशी को बिना किसी छूट/रियायत के केवल योग्यता के आधार पर चुना गया। उपरोक्त 31 ओबीसी और 1 एससी प्रत्याशी में से, 26 ओबीसी और 1 एससी प्रत्याशी को आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध सेवा आवंटित की गई थी क्योंकि इस प्रक्रिया से उन्हें वरीयता क्रम में उच्च विकल्प की सेवा मिल गई थी। यदि इन 27 अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग के विरुद्ध और सामान्य अभ्यर्थियों के साथ प्रतिस्पर्धा में सेवा आवंटन के लिए रखा जाता , तो उन्हें नीची वरीयता की सेवा मिलती। नियम 16(2) किसी भी आरक्षित श्रेणी के प्रत्याशी को उच्च वरीयता की सेवा प्राप्त करने

में प्रावधान देता है ताकि उसे अपनी श्रेणी के अन्य प्रत्याशियों की तुलना में नुकसान न हो।

3. कुछ ओबीसी प्रत्याशियों ने नियम 16(2) को चुनौती देते हुए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, मद्रास बेंच (कैट) के समक्ष मूल आवेदन दायर किया। तर्क दिया गया कि ओबीसी मेरिट के अभ्यर्थियों का ओबीसी श्रेणी में समायोजन अवैध रूप से किया गया है। उनके अनुसार ऐसे अभ्यर्थियों को अनारक्षित या सामान्य वर्ग में समायोजित किया जाना चाहिए. इससे पदों के लिए अधिक ओबीसी प्रत्याशियों की अनुशंसा की जा सकेगी और इससे निचले रैंक वाले ओबीसी प्रत्याशियों को सेवा का बेहतर विकल्प भी मिलेगा।

4. अधिकरण ने संशोधित नियम 16(2) और इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों की व्याख्या करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि योग्यता के आधार पर चुने गए ओबीसी प्रत्याशियों को 'सामान्य श्रेणी' के विरुद्ध समायोजित किया जाना चाहिए। हालाँकि, अधिकरण ने यह आदेश दिया कि नियम 16(2) को इस न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में लागू किया जा सकता है। अनुराग पटेल बनाम यूपी लोक सेवा आयोग और अन्य में (2005) 9 एससीसी 742, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सेवा

का आवंटन रैंक-सह-वरीयता के अनुसार है और सेवा आवंटन के लिए मेधावी प्रत्याशियों को प्राथमिकता दी जाती है।

5. केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेश को चुनौती देते हुए, भारत संघ और अन्य व्यथित व्यक्तियों ने मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएँ दायर कीं। कुछ लोगों ने खुद को उक्त कार्यवाही में पक्षकार बना लिया। दिनांक 20.03.2008 के आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने नियम 16(2) को असंवैधानिक घोषित किया एवं उच्च न्यायालय ने चयन सूचियों को रद्द घोषित करते हुए भारत सरकार और यूपीएससी को सेवा आवंटन डे पर फिर से काम करने का निर्देश दिया।

6. सीएसई-2005 के अंतिम परिणाम के अनुसार, 457 रिक्त पदों में से, 425 प्रत्याशियों को नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया गया था, जिसमें 210 सामान्य, 117 ओबीसी, 66 एससी और 32 एसटी वर्ग शामिल थे। यूपीएससी 64 प्रत्याशियों की एक समेकित आरक्षित सूची बनाए रख रहा था जिसमें सीएसई नियमों के नियम 16(4) और (5) 2005 के अनुसार संबंधित श्रेणी के तहत अंतिम अनुशंसित प्रत्याशी के बाद योग्यता के क्रम में 32 सामान्य, 31 ओबीसी और 1 एससी प्रत्याशी शामिल थे। यह माना जाता है कि सामान्य मेरिट सूची में चयनित 31 ओबीसी श्रेणी के प्रत्याशियों को सामान्य श्रेणी में शामिल नहीं किया गया बल्कि 117 ओबीसी श्रेणी के प्रत्याशियों में चुना गया

और मेरिट के निचले क्रम में समान संख्या के ओबीसी श्रेणी के प्रत्याशी को नौकरी अस्वीकृत की गयी

सामान्य योग्यता सूची में चयनित इन 31 ओबीसी श्रेणी के प्रत्याशियों को ओबीसी श्रेणी के प्रत्याशी की आरक्षित सूची में शामिल किया गया और इस तरह संशोधित सीएसई नियमों के नियम 16(2) के अनुसार कुल 117 हो गए। चयनित ओबीसी श्रेणी के प्रत्याशियों को मेरिट सूची में शामिल करने का उद्देश्य उन्हें ओबीसी श्रेणी से उच्च वैकल्पिक सेवा देना था और यही कारण था कि नियमों में संशोधन किया गया था।

7. प्रत्यर्थीगण का मामला यह है कि नवीन आरंभिक प्रणाली जो संशोधन से पूर्व की एकल सूची प्रणाली से अलग है, वह आरक्षित श्रेणी के प्रत्याशियों के आईएएस, आईपीएस या आईआरएस जैसी उच्च वांछित सेवाएं प्राप्त करने के अधिकारों को घटाती है और आरक्षित प्रत्याशियों की संख्या भी कम कर देती है। सामान्य प्रत्याशियों की संख्या में भी वृद्धि कर देती हैं। यह दूसरी सूची में चयनित प्रत्याशियों को उनकी संबंधित सेवाओं में उनके शेष कार्यकाल के लिए वरिष्ठता और पदोन्नति के मामले में नुकसानदेय है। उक्त आदेश द्वारा, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने सभी, विशेषकर ओबीसी प्रत्याशियों की शिकायत को सही ठहराया।

8. कार्मिक , लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 04.12.2004

के आधार पर, सीएसई नियमों में संशोधन किया गया और हम नियम 16 (1) (2) (3) से संबंधित हैं) (4) और (5) से संबद्ध जिन्हें यहां पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

"16 (1) साक्षात्कार के पश्चात , प्रत्याशियों को आयोग के द्वारा मुख्य परीक्षा में दिए गए कुल अंकों के आधार पर मेरिट के अनुसार व्यवस्थित किया जाएगा। तत्पश्चात आयोग प्रत्याशियों अनारक्षित रिक्त पदों के विरुद्ध अनुशंसा करने हेतु एक अहर्ता अंक (एत्द्पश्चात सामान्य अहर्ता मानक के रूप में संदर्भित) जो की अनारक्षित रिक्त पदों को मुख्य परीक्षा द्वारा भरे जाने के अनुसार तय करेगा | एससी , एसटी , ओबीसी आरक्षित श्रेणी के प्रत्याशियों की अनुशंसा आरक्षित रिक्त पदों पर उनके मुख्य परीक्षा के अनुसार की जायेगी |

यदि उम्मीदवार जो अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से हैं और उन्होंने परीक्षा के पात्रता या चयन मानदंडों में किसी भी चूट या आराम का उपयोग नहीं किया है, और परीक्षा के किसी भी चरण में मानक पाते हैं और आयोग

द्वारा सिफारिश के लिए उपयुक्त पाए जाते हैं, तो उन्हें एससी , एसटी तथा ओबीसी के लिए आरक्षित रिक्तियों के खिलाफ सिफारिश नहीं की जाएगी।

16 (2) सेवा आवंटन करते समय, अनारक्षित रिक्तियों के विरुद्ध अनुशंसित एससी , एसटी या ओबीसी से संबंधित प्रत्याशियों को सरकार द्वारा आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है। यदि इस प्रक्रिया से उन्हें अपनी प्राथमिकता के क्रम में उच्च पसंद की सेवा मिलती है।

16 (3) आयोग इस नियम के प्रावधानों से उत्पन्न होने वाली अनारक्षित पदों के विरुद्ध प्रत्याशियों की संख्या में कई कमी और आरक्षित पदों के विरुद्ध प्रत्याशियों में बढोतरी को ध्यान में रखते हुए अनुशंसा हेतु योग्यता एवं अहर्ताओ में रियायत कर सकेगा आयोग ऐसी अनुशंसा उप नियम (4) और (5) में निर्धारित तरीके से कर सकेगा |

16 (4) प्रत्याशियों की अनुशंसा करते समय, आयोग , सबसे पहले , सभी श्रेणियों में रिक्तियों की कुल संख्या को ध्यान में रखेगा। अनुशंसित प्रत्याशियों की यह कुल संख्या एससी , एसटी और ओबीसी के प्रत्याशियों की संख्या से घटाई जाएगी , जो निर्धारित सामान्य अहर्ता मानक पर या उससे ऊपर बिना किसी रियायत या छुट का लाभ उठाए सुपाठ्यता या पुनः आवंटन में

मेरिट में उपनियम (1) के प्रावधान के अनुसार चयन मानदंड में आए

अनुशंसित प्रत्याशियों के साथ, आयोग को प्रत्याशियों की एक समेकित आरक्षित सूचि भी घोषित करनी होगी जिसमे प्रत्येक श्रेणी से आखिरी अनुशंसित प्रत्याशी के बाद सामान्य और आरक्षित श्रेणियों के प्रत्याशी मेरिट के अनुसार व्यवस्थित किये जायेंगे | इनमे से प्रत्येक श्रेणी के प्रत्याशियों की संख्या आरक्षित श्रेणी के प्रत्याशियों के बराबर होगी : जो पात्रता में बिना किसी छुट या रियायत के लाभ लिए बिना प्रथम सूची में शामिल थे, उप नियम (1) के अनुसार ओबीसी श्रेणी में रिज़र्व सूची में प्रत्येक श्रेणी |

16 (5) उप नियम (4) के प्रावधानों के अनुसार अनुशंसित प्रत्याशियों को सेवाओ के लिए सरकार द्वारा आवंटित किया जाएगा और जहां कुछ रिक्ति पद अभी भी भरे जाने बाकी हैं, सरकार द्वारा आयोग को एक मांग अग्रेषित की जा सकती है जिसमें उसे मेरिट के आधार पर, रिज़र्व सूची से, प्रत्येक श्रेणी में रिक्त पदों को भरने के उद्देश्य से अपेक्षित समान संख्या में प्रत्याशियों की अनुशंसा की जानी होगी।

9. केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के साथ-साथ उच्च न्यायालय के समक्ष, मुख्य चुनौती नियमों के नियम 16(2) पर केंद्रित है। असंशोधित एवं संशोधित नियम 16(2) इस प्रकार हैं:-

नियम 16(2) असंशोधित -	नियम 16(2) संशोधित

अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़ा वर्गों के किसी भी प्रत्याशियों को, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षित रिक्ति पदों की संख्या की परिमिति तक, आयोग द्वारा रियायत प्रदान कर अनुशंसा की जा सकती है, यदि ये प्रत्याशी सेवाओं के चयन के लिए योग्य हों। उपबबधान के इस उप-नियम में संदर्भित सुखग्रस्त मानक का उपयोग न करते हुए आयोग द्वारा सिफारिश किए जाने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों के स्थान पर	सेवा आवंटन करते समय, यदि अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़ा वर्गों से संबंधित प्रत्याक्षियो को सामान्य रिक्ति पदों के विरुद्ध के अनुशंसा की गयी थी, तो सरकार उन्हें अपनी प्राथमिकता क्रम में उनकी आराद्ध प्राथमिकता की सेवा प्राप्त होती है, तो सरकार उन्हें आरक्षित पदों में समायोजित कर सकेगी यदि इस प्रक्रिया से उन्हें उनकी सेवा की उच्च वांछित पदों में प्राथमिकता मिले।

समायोजित नहीं किए जाएंगे।	

10. जिन प्रश्नों का उत्तर देना है वे इस प्रकार हैं:

(i) क्या आरक्षित श्रेणी के प्रत्याशी यानी ओबीसी /एससी /एसटी जो योग्यता के आधार पर चुने गए थे और सामान्य /अनारक्षित श्रेणी के प्रत्याशियों की सूची में रखे गए थे, उन्हें "सेवा आवंटन " के समय आरक्षित श्रेणी के प्रत्याशी माना जा सकता है।

(ii) क्या सीएसई नियमों के नियम 16(2) (3) (4) और (5) 16(1) से असंगत हैं और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16(4) और 335 का उल्लंघन करते हैं?

(iii) क्या इस मामलें में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण का निर्णय वैध हो सकता है क्योंकि ये सिविल सेवा परीक्षा नियमों के नियम 16 (2) के पालन पर निर्भर करता है जहाँ तक यह *अनुराग पटेल बनाम यू.पी लोक सेवा आयोग और अन्य (2005) 9 एससीसी 742* के अन्य के अनुपात के अनुसार जिसनें *रितेष आर शाह बनाम डा0 वाई एल यमुल व अन्य (1996) 3 एससीसी 253* के फैसले से संदर्भ लिया था जो वास्तव में स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेष के लिये आरक्षित सीटों से संबंधित है और क्या यह संघ या राज्य के तहत सेवा में आरक्षण के संबंध में सरकारी नीति की संवैधानिकता पर विचार

करने के एक अलग परिदृष्य में लागू किया जा सकता है और यदि हॉ तो कितना।

(iv) इस न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने आरके सभरवाल और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य, (1995) 2 एससीसी 745 के मामले में पैराग्राफ 4 में निम्नानुसार निर्णय दिया है:

> "..... आरक्षित श्रेणी के प्रत्याशी गैर-आरक्षित पदों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और उक्त पदों पर उनकी नियुक्ति की स्थिति में आरक्षण का प्रतिशत निकालने के लिए उनकी संख्या को जोड़ा नहीं जा सकता है और उस पर विचार नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 16(4) भारत का संविधान राज्य सरकार को नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए कोई भी प्रावधान करने की अनुमति देता है, जिसका राज्य की राय में राज्य के तहत सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। इसलिए, राज्य सरकार को इस निष्कर्ष पर पहुंचना

चाहिए कि जिस पिछड़ा वर्ग/वर्गों के लिए आरक्षण किया गया है, उसका राज्य सेवाओं में पर्याप्त

प्रतिनिधित्व नहीं है। ऐसा करते समय राज्य सरकार को किसी विशेष पिछड़े वर्ग की कुल जनसंख्या लेनी है और राज्य सेवाओं में इसका प्रतिनिधित्व रखता हैं जब राज्य सरकार आवश्यक अभ्यास करने के बाद आरक्षण देती है और उक्त पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित किए जाने वाले पदों के प्रतिशत की सीमा प्रदान करती है तो प्रतिशत का सख्ती से पालन करना होगा। निर्धारित प्रतिशत में केवल इसलिए परिवर्तन नहीं किया जा सकता क्योंकि पिछड़े वर्ग के कुछ सदस्यों को पहले ही सामान्य सीटों पर नियुक्त /पदोन्नति मिल चुकी है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, रोस्टर बिंदु जो पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित है, उसे उक्त वर्ग के सदस्य की नियुक्ति /पदोन्नति के माध्यम से भरना होगा। किसी भी सामान्य श्रेणी के प्रत्याशी को रोस्टर में उस स्थान पर नियुक्त नहीं किया जा सकता जो पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। यह तथ्य कि राज्य सेवाओं में सामान्य सीटों के विरुद्ध काफी संख्या में पिछड़े वर्ग के सदस्यों को नियुक्त /पदोन्नत किया

गया है, राज्य सरकार के लिए उक्त वर्ग के लिए आरक्षण

जारी रखने के प्रश्न की समीक्षा करने के लिए एक प्रासंगिक कारक हो सकता है, लेकिन जब तक निर्देश / पिछड़े वर्गों के लिए कुछ प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले नियम लागू हैं और उनका पालन करना होगा। सामान्य श्रेणी के पदों पर पिछड़ा वर्ग से संबंधित कितनी भी संख्या में नियुक्तियों /पदोन्नति के बावजूद दिए गए प्रतिशत को अतिरिक्त प्रदान किया जाना है।"

(महत्व दिया गया)

अब इस मामले में इस अनुपात का पालन करने को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं. सबसे पहले, यह निर्णय पूरी तरह से संविधान के अनुच्छेद 16(4) के सक्षम प्रावधान तक ही सीमित है जिसके तहत राज्य सरकार के पास यह तय करने की एकमात्र शक्ति है कि राज्य के तहत सेवा में पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण की आवश्यकता है या नहीं। लेकिन वर्तमान मामला भारत सरकार के अधीन पदों का चयन संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से किये जाने से संबंधित है। क्या उपर्युक्त अनुपात यहां सख्ती से लागू हो सकता है। दूसरे, अधिसूचना के नियम 16(1)

के प्रावधानों के तहत, जो कि प्रश्नगत है, यह प्रावधान किया गया है कि एससी, एसटी

और ओबीसी वर्गों से संबंधित कोई भी प्रत्याशी जिन्होंने पात्रता में किसी भी रियायत या छूट का लाभ नहीं उठाया है। परीक्षा के किसी भी चरण में चयन मानदंड और जो सामान्य योग्यता मानकों को ध्यान में रखने के बाद आयोग द्वारा सिफारिश के लिए उपयुक्त पाए जाते हैं, उन्हें एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षित रिक्तियों के खिलाफ सिफारिश नहीं की जाएगी जो कि बहुत हद तक अनुरूप हैं। उपरोक्त निर्णय. लेकिन विवादित नियम 16(2) के माध्यम से अनारक्षित रिक्तियों के खिलाफ नियम 16(1) के तहत अनुशंसित एससी, एसटी या ओबीसी से संबंधित प्रत्याशियों को सरकार द्वारा आरक्षित रिक्तियों के खिलाफ समायोजित किया जा सकता है और इस प्रक्रिया से उन्हें उच्च विकल्प मिलता है। उनकी पसंद का क्रम. अब यह हल किया जाना है कि क्या जिन प्रत्याशियों ने केवल आरक्षित श्रेणी के प्रत्याशियों के लिए उपलब्ध बेहतर प्राथमिकताओं का लाभ उठाया है, उन्हें योग्यता/सामान्य श्रेणी के तहत रखा जा सकता है क्योंकि वे केवल आरक्षित श्रेणी के लोगों के लिए उपलब्ध छूट/रियायतों का लाभ उठा रहे हैं या वे विवादित नियम के तहत आरक्षित श्रेणी सूची में समायोजित किया जा सकता है। तीसरा, यदि उन्हें अन्य सामान्य श्रेणी के प्रत्याशियों के साथ सामान्य श्रेणी में रखा जाता है जो किसी भी छूट के लिए पात्र

नहीं हैं और पूरी तरह से उनकी योग्यता के आधार पर सेवाओं में नियुक्त किए जाते हैं तो

क्या यह अनुच्छेद 14 और 16(1) और (2) के जनादेश का उल्लंघन नहीं होगा जिसके अनुसार यह जाति के आधार पर सामान्य /योग्यता श्रेणी के तहत रखे गए प्रत्याशियों के लिए अवसर के विभिन्न दायरे प्रदान कर रहा है।

11. यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सरकार *इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ,* 1992 एसयूपीपी (3) एससीसी 217 में दिए गए फैसले के अनुसार किसी विशेष आरक्षित श्रेणी के निर्धारित प्रतिशत की सीमा तक छूट दे सकती है।

प्रासंगिक पैराग्राफ इस प्रकार हैं:

> "...अनुच्छेद 16 के खंड (4) में विचारित आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए।
>
> **810**. जबकि 50% नियम होगा, इस देश और लोगों की महान विविधता में निहित कुछ असाधारण स्थितियों को विचार में रखना आवश्यक है। ऐसा हो सकता है कि दूर-दराज के इलाकों में रहने वाली आबादी को, राष्ट्रीय जीवन की मुख्यधारा से दूर होने के कारण और उनकी विशिष्ट और विशिष्ट स्थितियों को देखते हुए, अलग तरीके से व्यवहार करने की

आवश्यकता हो और कुछ इस सख्त नियम में थोड़ी रियायत देना जरूरी हो सकता है परन्तु ऐसा करने में अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी और एक विशेष मामला बनाना होगा।

811. इस संबंध में यह याद रखना अच्छा होगा कि अनुच्छेद 16(4) के तहत आरक्षण सांप्रदायिक आरक्षण की तरह काम नहीं करता है। ऐसा हो सकता है कि अनुसूचित जाति के कुछ सदस्य अपनी योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता के मैदान में चयनित हो जाएं ; उन्हें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कोटा में नहीं गिना जाएगा ; उन्हें खुली प्रतियोगिता के प्रत्याशियों के रूप में माना जाएगा। "

(महत्व दिया गया)

उपर्युक्त निर्णय के प्रकाश में क्या यह उचित नहीं है कि आरक्षित वर्ग के उन व्यक्तियों को, जो खुली प्रतियोगिता के मैदान में अपनी योग्यता के आधार पर चयनित हुए हैं, सेवा में

पदों पर बेहतर वरीयता दी जाये और यदि दी भी जाये तो? इस तरह की

बेहतर प्राथमिकता यह है कि क्या वह इस विशिष्ट प्रतिशत के अंतर्गत नहीं आना चाहिए क्योंकि यह केवल एक निश्चित छूट या रियायत होगी और आरक्षण का उचित रूप नहीं होगा जैसा कि पैराग्राफ 813 में एक ही निर्णय में देखा गया है:

> "**813.** हालाँकि , यह स्पष्ट कर दिया गया है कि 50% का नियम केवल उचित आरक्षण जो की अनुच्छेद 16(4) के तहत पिछड़े नागरिकों के वर्ग को दिया जाता हैं पर लागू होगा ; वे 'पिछड़ों ' को प्रदान की जाने वाली छूट, रियायतें या छूट, यदि कोई हो, पर लागू नहीं होंगे। "

12. भारत संघ और अन्य बनाम सत्य प्रकाश और अन्य , (2006) 4 एससीसी 550 के मामले में, इस न्यायालय ने 2002 से पहले असंशोधित सिविल सेवा परीक्षा नियमों नियमो को देखा गया गया था, जिसमें अधिक मेधावी प्रत्यर्थी बेहतर सेवा का विकल्प नहीं चुन सकते थे। इसे पैरा 19 में निम्नानुसार निर्णीत किया गया था:

".....जबकि आयोग द्वारा छूट या रियायत मानक का सहारा लिए बिना छूट या रियायत अनुशंसित आरक्षित श्रेणी के प्रत्याशी के पास लेकर आयोग द्वारा अनुशंसित आरक्षित वर्ग से वरीयता का विकल्प होगा, लेकिन कोटा/प्रतिशत की गणना करते समय आरक्षण के तहत उसे एक सामान्य श्रेणी के प्रत्याशी (अर्थात योग्यता के आधार पर) के रूप में सीट आवंटित की गई मानी जाएगी, न कि छूट या रियायत का सहारा लेकर आयोग द्वारा अनुशंसित आरक्षित श्रेणी के प्रत्याशी के रूप में।''

इस प्रकार इसे पैरा 20 में निम्नानुसार निर्देशित किया गया था:-

"**20**. यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई प्रत्याशी, जिसे आयोग द्वारा छूट या रियायत का सहारा लिए बिना अनुशंसित किया गया है, मेरिट सूची में अपनी वरीयता प्राप्त नहीं कर पाता है, तो वह विकल्प चुन

सकता है आरक्षित वर्ग से एक वरीयता और ऐसी प्रक्रिया में छूट या

रियायत का सहारा लेकर अनुशंसित आरक्षित वर्ग की वरीयता के विकल्प को और नीचे धकेल दिया जाएगा, लेकिन शेष सेवाओं/पदों में से किसी एक को आवंटित किया जाएगा जिसमें आवंटन के बाद रिक्त पद हैं। सभी प्रत्याशी जिन्हें उनकी प्राथमिकता के अनुसार किसी सेवा/पद पर आवंटित किया जा सकता है।"

उक्त निर्णय उन मेधावी आरक्षित श्रेणी के प्रत्याशियों के साथ हुए अन्याय को ठीक करने के उद्देश्य से दिया गया था, जिन्हें सेवाओं में उन पदों के लिए अनुशंसित किया गया था, जो उन सेवाओं में पदों की तुलना में वरीयता में कम थे, जिनके लिए आरक्षित श्रेणी के प्रत्याशियों को बेहतर अंक और योग्यता प्राप्त करने के बावजूद अनुशंसित किया गया था। चूंकि निर्णय असंशोधित नियम 16 से संबंधित है कि क्या यह संशोधित नियम 16 पर लागू है।

13. जहां तक संशोधित नियम 16 का सवाल है, परिवर्तन का मूल आधार नियम 16(3) में दिया गया है ताकि "अनारक्षित रिक्त पदों के खिलाफ नियुक्ति के लिए प्रत्याशियों की किसी भी

कमी का ख्याल रखा जा सके" जिसके तहत यह विधायिका का इरादा है की

आरक्षण पर उचित प्रतिबंध लगाना ताकि अनारक्षित वर्ग के प्रत्याशियों को भी अपना प्रतिनिधित्व करने का समान अवसर मिल सके। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि योग्यता के आधार पर योग्यता /अनारक्षित श्रेणी में चयनित आरक्षित श्रेणी के प्रत्याशियों ने किसी भी छूट का लाभ नहीं उठाया है जो केवल आरक्षित श्रेणी के प्रत्याशियों के लिए उपलब्ध है, क्या जब भी वे आरक्षित श्रेणी में उपलब्ध बेहतर वरीयता का विकल्प चुन रहे हैं, तो उन्हें आरक्षित श्रेणी में माना जाना चाहिए और उसी श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए , जहां प्रत्याशी , चाहे वह आरक्षित या अनारक्षित श्रेणी के हों, जिन्होंने नहीं लिया है। केवल आरक्षित श्रेणी के प्रत्याशियों के लिए उपलब्ध किसी भी प्रकार की छूट रखी गई है और यह भी कि क्या सरकार की नीति में हस्तक्षेप किया जा सकता है जब उसने संशोधित नियम 16 को शामिल करने का तर्क दिया है जो विवाद में है।

14. बड़ी बेंच द्वारा उत्तर दिए जाने वाले मुख्य प्रश्नों से निपटने से पहले, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि, हालांकि , *इंद्रा साहनी* मामले (सुप्रा) में उचित आरक्षण डी हॉर्स के साथ 50% से अधिक छूट /रियायत प्रदान की गई है। उक्त निर्णय में यह भी उल्लेख किया गया था कि राज्य सरकार आरक्षण के लिए

नीतियां बनाने के लिए सबसे सही स्थिति में है जब किसी राज्य की विशिष्ट स्थितियों और

परिस्थितियों में वास्तव में इसकी आवश्यकता होती है (पूरे भारत के मामले में केंद्र सरकार)। वर्तमान मामले में, यूपीएससी ने नियम 16 में संशोधन प्रदान किया है जो नियमों में पहले से निर्दिष्ट कुछ उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया गया है। यह भी स्पष्ट किया जाना हैं कि क्या आरक्षित श्रेणी के व्यक्ति जो आरक्षित श्रेणी के प्रत्याशियों के लिए उपलब्ध किसी भी छूट/रियायत के बिना पहले से ही योग्यता श्रेणी में चयनित हैं, वे वास्तव में आरक्षित श्रेणी सूची के तहत सेवाओं से सेवा की बेहतर प्राथमिकता का लाभ उठा सकते हैं। यह पूरी तरह से प्रत्याशियों की जाति पर आधारित होगा यानी कि वह एससी, एसटी या ओबीसी है क्योंकि उन्हें पहले ही उनकी योग्यता के आधार पर सामान्य श्रेणी में चुना जा चुका है।

15. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सभी केंद्रीय सिविल सेवाओं पर लागू सीएसई के संशोधित नियम 16 से संबंधित मुद्दे उठाए गए और चर्चा की गई, हमारा विचार है कि विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित विभिन्न निर्णयों के आलोक में एक आधिकारिक निर्णय की आवश्यकता है।, इसलिए, इन सभी एसएलपी और रिट याचिकाओं को एक संविधान पीठ को भेजा जाता है।

आर पी

मामला संवैधानिक पीठ को भेजा जाता हैं|

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी फैसल खान (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।